कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक विज्ञान को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है--

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन (राउमावि)	विदेश यात्रा अवधि मय विदेश जाने का कारण	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	श्रीमती विमला मांझु, राबाउमावि मालवीय नगर (जयपुर)	दिनांक 04.11.2019 से 09.11.2019 तक कुल 06 दिवस (छः दिवस) भ्रमण हेतु	अमेरिका (न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डी.सी.)

1 विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6 विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ–जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8 विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9 यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/विदेशयात्रा–अनुज्ञा/2019/80 दिनांकः 01.11.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर।
3 सिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
4 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5 संबधित प्रधानाचार्य, राबाउमावि मालवीय नगर, जयपुर
6 संबधित कार्मिक
7 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय लोक प्रशासन में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करनें की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री / श्रीमती / सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	प्रवीण कुमार खत्री–राउमावि कानासर, बीकानेर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफ1 (23–14)RPSC/Appt/HRD/2017/846 दिनांक–24 / 10 / 2019

उक्त कार्मिक के विभाग छोड़ने पश्चात वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण नियमानुसार पदाधिकार (LIEN) रहेगा। विभागीय जांच लंबित / प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / रा.वि. / कार्यमुक्ति / 2018 / 222 दिनांक– 01 / 11 / 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 संबंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा................।
5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6 संबंधित प्रधानाचार्य ....।
7 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता / गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि डीपीसी वर्ष 2016–17 में पदोन्नत कार्मिक प्रवीण कुमार खत्री (वरि. क्रमांक 3432 वरि. अवधि 2005–06) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
9 निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर